

सं० सं०- 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
एस.एस. हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	लक्ष्मी देवी पति-हरकेश चौरसीया ग्राम-टेलीया बांध टोला, शाहपुर पो०-माधोपुर बरहरीया, थाना-मांझा जिला-गोपालगंज	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	प्रेम कुमार सिंह पिता-देवानन्दन सिंह ग्राम-प्रबोधी नारेन्द्र पो०+थाना-सराय जिला-वैशाली	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	मैनुद्दीन अहमद पिता-शेख महबुब ग्राम-महुअवा पो०-सासामुसा थाना-कुचायकोट जिला गोपालगंज	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,80,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388137 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।

(Handwritten Signature)

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388137 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1228(14)

पटना, दिनांक 22-08-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/08/16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	बिक्रम कुमार पिता-दिना नाथ पासवान ग्राम-नकछेद टोला पो०-मोतिहारी थाना-टाउन जिला-पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी-101187895	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	रहिसुल खान पिता-हफीज खान ग्राम-पो०-तरवारा थाना-बिरौल जिला दरभंगा ओ.पी.डी पंजी-101767298	नी रिपलेस्मेंट	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
3	रिंकु देवी पति-मंदीप ठाकुर ग्राम-खुशहालपुर पो०-बरुआ थाना-दरियापुर जिला-सारण ओ.पी.डीनं०-101409157	ऐ-प्लास्टिक ऐनिमिया	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,30,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,30,000 /-(चार लाख तीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388117 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, आ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

21/8/17
29/7/17

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388127.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0 /-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1298(14)

पटना, दिनांक 22.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री प्रमोद कुमार स0वि0स0 मोतिहारी / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....


विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अहिल्या देवी पति-श्रीचन्द्र मंडल ग्राम-मसुन्डा पो०-भिरभीरी, थाना-सिकटी जिला अररिया ओ.पीडीनं-एनएस-2579 / 15	ब्रेन टयुमर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 50,000 /--

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000 /-(पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 388128 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-सी०ए० 10874584576, खाता धारक का नाम- AIIMS GAMMA KNIF PATIENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।



विश्वासभाजन


ह० / -

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक पटना, दिनांक
प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए
अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388128 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में
वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

ज्ञापांक 1219(14) निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, दिनांक 22-08-16
मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.10.16

सं० सं० 14/.एम 11-3/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
मेडिकल सुप्रीटेडेंट,
डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल,
नई दिल्ली-110001

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो. वारिस अली पिता-मो० जमालउद्दीन ग्राम-जक्की बिगहा पो०-डालमिया नगर थाना-डेहरी जिला-रोहतास	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 85,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) रूपया का क्रास चेक सं०...388122..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1213(14)

पटना, दिनांक 22.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ मो. इलियास हुसैन सं०वि०स०/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर स्वा० विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं० 14/एम 11-3/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
मेट्रो हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीच्युट,
14, रिंग रोड लाजपत नगर,
नई दिल्ली 110024 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10. 8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विमला देवी पति-अरुण तिवारी ग्राम+पो०-नचाप थाना-मांझी जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) का क्रास चेक सं०...388123मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 22.08.16

ज्ञापांक 1214(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं० 14 / एम 11-3 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राम प्यारी देवी पति—राम अकबाल महतो ग्राम—रामपुर खडहरा पो०—एकचारी थाना—रसलपुर ओ०पी० जिला—भागलपुर सी.भीनं०—8552 / 16	हृदय रोग	₹ 40,000 /—(चालीस हजार) स्वीकृत।
2	उषा देवी पति—राज किशोर केसरी ग्राम—आनन्द बाजार मठ रोड पो०—दानापुर कैट थाना—दानापुर जिला—पटना सी.भीनं०—2016 / 014 / 0018358	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /—(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	नागेन्द्र चौधरी पिता—विजय चौधरी ग्राम—गम्हरीया टोला पो०—तेनुआ, थाना—नोखा जिला—रोहतास सी.भीनं०—24873 / 15	हृदय रोग	₹ 1,00,000 /—(एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,65,000 /—

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,65,000 /—(दो लाख पैंसठ हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388126... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०—10874584258, खाता धारक का नाम— AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

31/8/16
22/7/16

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-- शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...388126.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1217(14)

पटना, दिनांक 22.08.16

प्रतिलिपि-- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8/16
निदेशक-प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014


पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	पुनम देवी पति-अरुण शर्मा ग्राम-पश्चिमारी रौजा पो0-छपरा थाना-नगर जिला-सारण सीआरनं0-2010575962	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	रंजन सिंह पिता-रमेश सिंह ग्राम+पो0-बड़का गांव थाना-तरारी जिल-भोजपुर सीआरनं0-2016274833	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	मनीष रंजन पिता-जय प्रकाश शर्मा ग्राम-पो0-डुमरी थाना-सराय जिला-वैशाली सीआरनं0-2016532925	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	शान कुमार धौनी पिता-विजय शर्मा ग्राम-तुलसीपुर पो0-अतियावा थाना-घोषी जिला-जहानाबाद सीआरनं0-2015167774	किडनी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।


22/9/16

5	विश्वकर्मा राम पिता-स्व. राम कुमार राम ग्राम-पैगा पो0-गुन्डी थाना-बरहरा जिला-भोजपुर, आरा सीआरनं0-2015458758	हृदय रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
6	सोमी परवीन पति-मंजुर इमाम ग्राम-पो0-प्रतापपुर थाना-हुसैनगंज जिला-सीवान सीआरनं0-2011312991	हीमोटोलौजी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
7	अंजु कुमार पिता-स्व लक्ष्मण प्रसाद ग्राम-मठीयापुर पो0-जमसौत थाना-शाहपुर जिला-पटना सीआरनं0-2010217195	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	रेणु देवी पति-संजय कुमार चौबे ग्राम-ब्रहमपुरा पो0-इन्दौर थाना-इटादी जिला-बक्सर सीआरनं0-2016319345	सर्जरी रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
9	मुजफ्फर अली पिता-समसुद्धीन ग्राम-हरिहांस कुरैशी टोला पो0-हरिहांस थाना-हुसैनगंज जिला-सीवान सीआरनं0-2015444095	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
10	राज कुमार यादव पिता-हरिशंकर यादव ग्राम-नवलपुर पो0-बडरम थाना-हुसैनगंज जिला-सीवान सीआरनं0-2016173236	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
11	विनोद कुमार सिंह पिता-दुखी सिंह ग्राम-पो0-धनेज थाना-करगहर जिला रोहतास सीआरनं0-2012247474	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 11,40,000/-

22/5/11

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,40,000/- (ग्यारह लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388132 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388132 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1223 (14)

पटना, दिनांक 22.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री, अनु०जाति एवं ज०जाति पता-एम/23स्टैंड रोड नेताजी सुभाष मार्ग पटना-15 / सभी संबंधित मरीजों/ आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कन्हैया यादव पिता-स्व. राम नरेश यादव ग्राम-लक्ष्मणपुर मठीया पो०-दौलतपुर थाना-मुफसिल जिला-भोजपुर आरा केसफाइलनं०-सीएन/01551	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	हीना परवीन पिता-परवेज आलम ग्राम-किला मोहल्ला वार्ड नं०-22, पो०-बेतिया थाना- नगर जिला-प० चम्पारण केसफाइलनं०-सीएम/34188	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	अरविन्द कुमार पिता-नन्द किशोर प्र० सिंह ग्राम-बड़हीया कोठी मीठापुर बी० एरिया, पो०-जी.पी.ओ० थाना-जक्कनपुर जिला-पटना केसफाइलनं०-सीएन/19795	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	सरिता देवी मिश्रा पति-हृदयानन्द मिश्रा ग्राम-रामपुर पोस्ट-सदौवा थाना-सिधवलीया जिला-गोपालगंज केसफाइलनं०-सीएन/05008	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,00,000/-

22/8/16

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रूपया का क्रास चेक सं० 388121.....मूल रूप में संलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1212 (14)

पटना, दिनांक 22.08.16

प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री मिथलेश तिवारी, स.वि.स० पता-फलैट नं० 4 सी जानकी कुटीर एपार्टमेंट अम्बेदकर पथ रूपनपुरा पटना / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चंडीगढ़ 160015

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रेणु देवी पति- राज कुमार भगत ग्राम-विष्णुपुर मिर्जापुर बन्द्व द्वार, पो०-मिर्जापुर बन्द्वदार थाना-जिला-बेगुसराय सीआरनं०-201505441224	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388129 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर,पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी० " खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं० 01524 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।



विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388129 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1220(14)

पटना, दिनांक 22-08-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/8/16

पत्रांक 14 / एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड
पी० बी० नं०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	ललीता देवी पति-आशुतोष प्रसाद गुप्ता ग्राम-मारुफचक घिघल साह पथ, पो०-मिरजानहॉट, थाना-मोजाहीदपुर जिला-भागलपुर रजिस्ट्रेशन०-476086 जी.	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 80,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388130 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

22/9/16

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388130 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1221(14)

पटना, दिनांक 22-08-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श. य. मन्डा

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल हौस्पीटल
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शशि देवी पति-उमा शंकर दुबे ग्राम+पो०-चन्द्रकैथी थाना-चेनारी जिला-रोहतास एमआरडीनं०-343767	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
2	विरेन्द्र प्रसाद पिता-बच्चु लाल राम ग्राम-मुसवत पो०-सरॉव थाना-नटवार जिला-रोहतास एम०आरडीनं०-277309	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
3	विकास कुमार पिता-जगदीश बिन्द ग्राम-नईया पो०-आलमपुर थाना-शिव सागर जिला-रोहतास एम०आरडीनं०-117755	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	कौलेश्वर बिन पिता-श्री किशुन बिन ग्राम-शीतलपुर पोस्ट-गभीरार थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान एमआरडीनं०-481304 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

(Handwritten signature)

5	झुनझुन कुमार पिता-जनक राउत ग्राम-सरैया बंजारी पट्टी पो0-सरैया बाजार थाना-पहाड़पुर जिला-पूर्वी चम्पारण एमआरडीनं0-435407	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
6	सूर्यवंश सिंह पिता-श्रीपती सिंह ग्राम-नुरनगंज पो0+थाना-सासाराम जिला-रोहतास एमआरडीनं0-335894	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,50,000/- (पांच लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 388131 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...388131...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1222(14)

पटना, दिनांक 22.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री ललन पासवान स.वि.स. पता-अमरद्वीप भवन शांति नगर पंजाब नेशनल बैंक के सामने राजाबाजार, पटना-14/श्री जय कुमार सिंह मंत्री, उ0सहवि0 एवं प्रावै0 विभाग पता-उद्योग विभाग विकास भवन द्वितीय तल्ला पटना/ श्री राजु तिवारी स0वि0स0, गोविन्दगंज पता-कमलुआ खजुरीया ममरखा गोविन्दगंजपूर्वी चम्पारण/ सभी संबंधित मरीजों/आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
22/08/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शंभु कुमार पिता-विष्णुदेव राम ग्राम-डा०के०डी०एन० अग्रवाल राजेन्द्रनगर, रोड पो०+थाना+जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
2	कुमारी मोनिका पति-रवि शंकर ग्राम-खलीलचक पो०-मलीलचक थाना-बरबीघा जिला-शेखपुरा	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
3	श्री राम प्रवेश शर्मा पिता-खोभारी शर्मा ग्राम-सिकन्दरपुर पो०-रतनपुरा थाना-महराजगंज जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	बच्ची देवी पति-अमेरिका राय ग्राम-तकेया पो०-पैगा, थाना-भेल्दी जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।

22/11/16

5	नरेन्द्र कुमार पिता-स्व. रूप नन्दन सिंह ग्राम-दहीभत्ता पो0-उसमानचक, थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
6	रेखा कुमारी पति-दिलिप कुमार ग्राम-हरिनगर पो0-गुजरौली थाना-बहेड़ी, जिला-दरभंगा	हृदय रोग	₹ 70,000 /-(सत्तर हजार) स्वीकृत।
7	सकीना खातुन पति-मो0 मोहम्मदीन ग्राम-खैरवा पो0-मनीयारी थाना+जिला-सीतामढ़ी	हृदय रोग	₹ 45,000 /-(पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
8	मणी राम दास पिता-सरयुग दास ग्राम-रवाईच पो0+थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
9	दिलिप यादव पिता-सचेन्द्र यादव ग्राम-पो0-बेलारी थाना-कुमार खंड जिला-मधेपुरा	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	देव लक्ष्मी कुमारी पति-नवल किशोर सिंह ग्राम-सहजानन्द नगर पो0+थाना+जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
11	सरिता कुमारी पति-शशि रंजन कुमार ग्राम-मानीकपुर मुसहरनीया पो0-अन्दौली थाना-परिहार जिला-सीतामढ़ी	हृदय रोग	₹ 45,000 /-(पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
12	कृष्ण कुमार गुप्ता पिता-स्व.लक्ष्मी नारायण साह ग्राम-बड़ी पटनदेवी कालोनी पो0-गुलजारबाग थाना-आलमगंज, जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
13	मुन्ना कुमार पिता-बैजू शर्मा ग्राम-अहुना, पो0-धुसमुरी विसनपुर थाना-अलौली जिला-खगड़िया	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

22/3/16

14	सच्चिदानन्द सिंह पिता- प्रदीप सिंह ग्राम-पो0-भीम नगर थाना-विरपुर जिला-सुपौल	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 12,15,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,15,000/- (बारह लाख पन्द्रह हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 388134.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 388134.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1225(14)

पटना, दिनांक 22.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री जितेन्द्र कुमार राय स. वि.स0 मढ़ौरा / सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श्री. जितेन्द्र

सं० सं० 14/एम 11-1/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मनोहर कुमार पिता-स्व. मोगल प्रसाद यादव ग्राम-पो०-खपड़ा थाना-संग्रामपुर जिला-मुंगेर	बोन एवं प्लास्टिक सर्जरी रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	राजेश प्रसाद पिता-स्व. कन्हैया लाल ग्राम-पंडपा पो०-थाना-नारदीगंज जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	सुरेन्द्र प्रसाद पिता-भासो यादव ग्राम-पंडारक सीताराम बागी पो०-थाना-पंडारक जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
4	शंभु प्रसाद पिता-राधा किशुन प्रसाद ग्राम-ओझा मठिया पो०-शिकारपुर थाना-मझौलीया जिला-प० चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	शत्रुघन राम पिता-फौदार राम ग्राम-नारायणपुर पो०-अमराई नवादा थाना-विहियां जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।

21/10/16
21/10/16

6	विपिन कुमार पिता-शंभु प्रसाद ग्राम-झौर, पो0-कोचगांव थाना-वारसलिंगंज जिला-नवादा	ब्रेन सर्जरी रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
7	अनुज पासवान पिता-कारु पासवान ग्राम-पो0-सोना गोपालपुर थाना-गोपालपुर जिला-पटना	गुर्दा रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
8	पाल जी पिता-आनन्दी यादव ग्राम-छोटी मिल्की पो0+थाना-राजगीर जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
9	सुरेन्द्र दास पिता-चन्देश्वर दास ग्राम-इमादपुर पो0-थाना-बिहारशरीफ जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
10	मिट्टु कुमार पिता-नारायण यादव ग्राम-मछबखरा पो0-गोढेला थाना+जिला-मधेपुरा	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
11	सुलेखा देवी पति-रामेश्वर चौधरी ग्राम-कुम्हरार पो0-डी0एच0 कालोनी थाना-अगमकुंआ जिला-पटना	प्लास्टिक एवं	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
12	रितेश कुमार पिता-दिनेश्वर सिंह ग्राम-कमलपुरा पो0-बराह थाना-पुनपुन जिला-पटना	स्पाईन सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
13	निभा देवी पति-संजय कुमार सिन्हा ग्राम-पूर्वी रामकृष्ण नगर होमियोपैथी कालेज, नीयर नगीना किराना स्टोर, पो0-खेमनीचक, थाना-रामकृष्ण नगर जिला-पटना	स्पाईन सर्जरी रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 13,13,000 /

गो. १५/३१०
२२/११/१०

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,13,000/(तेरह लाख तेरह हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388136 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388136 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1227(14)

पटना, दिनांक 22-08-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वा स्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो. अलताफ अंसारी पिता-मो० रज्जाक अंसारी ग्राम-जगदीशपुर पाठक पो०-बरौली थाना-पीरो जिला-भोजपुर,	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	विरेन कुमार पिता-रंजन मांझी ग्राम-यादोपुर पो०+थाना-दरियापुर जिला-सारण	नी रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	रमेश सिन्हा पिता-लाल बाबु सिन्हा ग्राम-पो०+थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
4	विद्या चौधरी पिता-जगदीश चौधरी ग्राम-गोविन्द नगर थाना-मुफसिल पो०-जिला-बक्सर	नी रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	सुरेश सिंह पिता-भदई सिंह ग्राम-सेम्भुआ पो०-टेरी थाना-मेंहदिया जिला-अरवल	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।

11/8/16
9/2/11

6	चंदन कुमार पिता-ओम मिस्त्री ग्राम-लोहार पट्टी, बनारसी घाट, पो0+थाना-बाढ जिला-पटना	नी रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	शोभा देवी पति-अशोक चौधरी ग्राम-कन्हौली विशुनदत्त पो0-रमना थाना-मीठनपुरा जिला-मुजफ्फरपुर	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 8,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 288138 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 288138 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1229(14)

पटना, दिनांक 22.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
आ. (सं. 1)

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रामचन्द्र यादव पिता-स्व० बिंसुल यादव ग्राम-रानीपुर खीड़की काली स्थान, पो०-झाउगंज थाना-मेंहदी नगर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	सबीता देवी पति-ललन ओझा ग्राम+पो०-खबरा थाना-सदर जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
3	नारद साव पिता-हीराझरी कुंवर ग्राम-नगवां, पो०-चौरौली थाना-भगवानपुर हॉट जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल रु० 3,35,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,35,000/- (तीन लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 388139 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

21/11/16
22/11/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. 388/39 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1230(14)

पटना, दिनांक

22.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नसीमा खातुन पति-मो० मुस्ताक ग्राम-सनहपुर बुढ़ियवन पो०-सनहपुर थाना-सिंहवाड़ा जिला-दरभंगा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	सीमा देवी पति-प्रवीण मालाकार ग्राम-टेढ़ी घाट पो०-झाउगंज थाना-खाजेकला जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	शीला देवी पति-प्रमोद कुमार ग्राम-नई गोदाम राजेन्द्र पथ पो०-आर०एस० थाना-कोतवाली जिला-गया	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	कैलाश देवी पति-स्व. नन्द किशोर चौधरी ग्राम-शेरपुर पो०-काबीलपुर थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	गीता देवी पति-सुदामा साव ग्राम-पो०-खजुरी थाना-करपी जिला-अरवल	हिप रिप्लेसमेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।

21/11/16

6	सुधीर पासवान पिता-सरयु पासवन ग्राम-मिर्जापुर पो0-नरगा, थाना-करपी जिला-अरवल	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
7	अवधेश कुमार राय पिता-शिव शंकर राय ग्राम-पुरषोतमपुर पो0-बहोरनपुर थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर	घुटना रोग	₹ 35,000 /-(पैंतीस हजार) स्वीकृत।
8	रानी देवी पति-गजेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम-बराही, पो0-आनन्दपुरा थाना-उदाकिशुनगंज जिला-मधेपुरा	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
9	रिंकु देवी पति-संजय कुमार साह ग्राम-जमालपुर 14 नं0 रोड पो0-जमालपुर थाना-गोगरी जिला-खगड़िया	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
10	शकील खान पिता-हनीफ खान ग्राम-पैठान टोली पो0+थाना-कोइलवर जिला-भोजपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
11	रोहन कुमार पिता-महेश प्रसाद साह ग्राम-बेगम सराय पो0+थाना-बछवाड़ा जिला-बेगुसराय	सर्जरी	₹ 15,000 /-(पन्द्रह हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,20,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 6,20,000 /-(छः लाख बीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं0.....**388125** मूल रूप में संलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1216 (14)

पटना, दिनांक 22-08-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री राहुल तिवारी, स0वि0स0, शाहपुर/ सभी संबंधित मरीज/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.08.16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,

पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,

पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शिव शंकर पासवान पिता-निर्मला पासवान ग्राम-चक्की विशेषवर डेरा पो०-चक्की थाना-ब्रहमपुर जिला-बक्सर	स्कीन रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 50,000/- (पचास हजार) का क्रास चेक सं०..... 388124..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 22.08.16

ज्ञापांक 1215(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री शंभु नाथ यादव, सं०वि०स०, ब्रहमपुर /सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	निर्मला देवी पति-नारायण यादव ग्राम-सनोखर पोस्ट-जगमोहरा थाना-बिथान जिला-समस्तीपुर सीआरनं०-112583/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	शशि यादव पिता-त्रिभुवन यादव ग्राम-लालपु सरोपट्टी पो०-लालपुर थाना-सिंहेश्वर जिला-मधेपुरा सीआरनं०-105037/16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	उमेश सिंह पिता-फकीरा सिंह ग्राम-पो०-हिलालपुर थाना-अद्यौगिक क्षेत्र जिला-वैशाली सीआरनं०-100314/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	कमला देवी पति-सूर्यदेव सिंह ग्राम-अनन्त करजा पो०+थाना-करजा जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं०-91720/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

21/11/13
22/11/10

5	बनारस राय पिता-रामानन्द राय ग्राम-कंस दियर पीपरा टोला पो0-कंस दियर थाना-डोरीगंज जिला-सारण सी.आरनं0-109551 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
6	शायरा खातुन पति-मो. शाहनवाज ग्राम-मानीकपुर नरोतम पोस्ट-श्रीसिया थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-106461 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
7	मो0 शाहनवाज पिता-मो0 नईम ग्राम-मानीकपुर नरोतम पोस्ट-श्रीसिया थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-105677 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
8	रामावती देवी पति-रामेश्वर पाण्डेय ग्राम-अगरेड खुर्द पो0-अगरेड कला थाना-सूर्यपुरा जिला-रोहतास सीआरनं0-106373 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
9	निशांत आरा पति-शाफेउल होदा ग्राम-पो0-मंसुरपुर हलैया थाना-गोरौल जिला-वैशाली सीआरनं0-93912 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
10	भिखारी राम पिता-सुकदेव राम ग्राम-साहपुर शीतल पट्टी पो0-मनरीया थाना-सहियारा जिला-सीतामढ़ी सीआरनं0-28386 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत।
11	किरण देवी पति-बिजेन्द्र सिंह ग्राम-सम्होता पो0-ओपा सम्होता थाना-कोपा जिला-सारण सीआरनं0-113474 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

20/11/18
9/11/18

12	अनिता सिन्हा पति-आनन्द कुमार सिंह ग्राम-बरई टोला पो0-अरेराज थाना-गोविन्दगंज जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-112963 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
13	मो. नासीर पिता-मो0 सलीम ग्राम-पो0-रसीदपुर थाना-खजौली जिला-मधुबनी सीआरनं0-70150 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
14	रंजीत कुमार पिता-हरिश्चन्द्र सिंह ग्राम-श्रीपुर गोविन्दापुर पो0-श्रीपुर बाजार थाना-सुगौली जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-33477 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
15	सूर्यनाथ सिंह पिता-जगदीप सिंह ग्राम-हसनपुर अबडाहा पो0-हसनपुर जुनैद थाना-महनार जिला-वैशाली सीआरनं0-105945 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
16	राम ज्योति देवी पति-सुनील सिंह ग्राम+पो0-महसौरा थाना-रामगढ़ चौक जिला-लखीसराय सीआरनं0-99441 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
17	अरविन्द कुमार पिता-स्व छेदी मंडल ग्राम-खान कित्ता पो0+थाना-सबौर जिला-भागलपुर सीआरनं0-103200 / 06	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
18	मैमुन निशा पति-सैफुल रहमान ग्राम-पो0-दिलावरपुर थाना-बहेड़ी जिला-दरभंगा पंजी / ओ0पीडी / 024187 / 15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000 /--(बीस हजार) स्वीकृत।

21/4/13
21/11/16

19	सुनील कुमार महाराज पिता-स्व० गुलाब महाराज ग्राम-पो०-महेशवाड़ा थाना-नावकोठी जिला-बेगुसराय सीआरनं०-107502 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
20	बैजु प्रसाद पिता-स्व. शीतल राय ग्राम-रंजनपथ पो०-दानापुर थाना-रूपसपुर जिला-पटना सीआरनं०-96445 / 14	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
21	सैदा खातुन पति-अजाजुल मियां ग्राम-नौतम मठीया पो०-अमनौर थाना-मदौरा जिला-सारण सीआरनं०-53998 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
22	लक्ष्मी देवी पति-स्व. बैद्यनाथ पाण्डेय ग्राम-सुरतपुर विद्या पो०-बेलकुण्डा थाना-महुआ, जिला-वैशाली सी.आरनं०-49127 / 14	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
23	हरेन्द्र राय पिता-स्व. मानकी राय ग्राम-कुआरी बुजुर्ग पो०-हाजीपुर थाना-गंगावृज जिला-वैशाली पंजी / ओ.पीडी / 109513 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000 /--(बीस हजार) स्वीकृत।
24	रामचन्द्र प्रसाद साह पिता-स्व. अनन्त प्रसाद साह ग्राम-खुखनाहा पुनर्वास वार्ड नं०-15, पो०+थाना+जिला-सुपौल सीआरनं०-86680 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
25	जय नारायण यादव पिता- युगेश्वर यादव ग्राम-झिटकीया पो०+थाना-घैलाढ जिला-मधेपुरा सीआरनं०-102343 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /--(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

21/11/2011

26	रामावती देवी पति-रामायण महतो ग्राम-नरसिंह खानपुर पो0-बसंतपुर बंगला थाना-अमनौर जिला-सारण सीआरनं0 80688 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत ।
27	किशोर प्रसाद गुप्ता पिता-स्व. बलदेव प्र0 गुप्ता ग्राम-माधोपुर पो0-बासुदेवपुर थाना-कोतवाली जिला-मुंगेर सीआरनं0-65820 / 16	हृदय रोग	₹ 50,000 / - (पचास हजार) स्वीकृत ।
28	गीता देवी पति-उपेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम-जमालपुर पो0-शुमई थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली सीआरनं0-49942 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत ।
29	अजय कुमार राय पिता-बिन्दा प्रसाद राय ग्राम-दाउदनगर पो0-चकगढो थाना-विदुपुर जिला-वैशाली सीआरनं0-103813 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत ।
30	सोनी कुमारी पिता-लालदेव यादव ग्राम-लालमनचक पो0-चाढ थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद सीआरनं0-110566 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / - (अस्सी हजार) स्वीकृत ।
31	गायत्री देवी पति-सत्येन्द्र कुमार सिंह ग्राम-पो0-कोराबा थाना-नौबतपुर जिला-पटना सीआरनं0-86068 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत ।
32	मीना देवी पति-शिव पुजन कुमार ग्राम जबरा पो0+थाना-टनकुप्पा जिला-गया पंजी / ओ0पीडी / 082112 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत ।

21/11/23
27/11/23

33	गरीब यादव पिता-स्व. युगल यादव ग्राम-पो0-खानजहॉपुर थाना-चेरिया बरियारपुर जिला-बेगुसराय सीआरनं0-26936 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
34	मंगल दास पिता-बैदु दास ग्राम-बासुदेवा पो0-मुरली बसंतपुर थाना-बनगांव जिला-सहरसा सीआरनं0-70503 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
35	अरविन्द प्रसाद पिता-सरयुग राम ग्राम-बाजीदपुर पो0-थाना-बाढ जिला-पटना पंजी / ओ0पीडी / 011960 / 13	कैंसर रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
36	अफसाना खातुन पति-मो0 रब्बानी ग्राम-पो0-मार् थाना-परसा जिला-सारण सीआरनं0-96828 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
37	राम शंकर सिंह पिता-स्व0 अयोध्या सिंह ग्राम+थाना-चेरिया बरियारपुर पो0-श्रीपुर जिला-बेगुसराय सीआरनं0-107929 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
38	सुमन कुमार रौशन पिता-फौदारी मंडल ग्राम-सीमरीया पो0-भीम दास टोला थाना-रंगरा जिला-भागलपुर सीआरनं0-104977 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
39	गौरी शंकर सिंह पिता-स्व. जिनेश्वर सिंह ग्राम-अंदामा पो0-कुसोथर थाना-बहादुरपुर जिला-दरभंगा सीआरनं0-109438 / 16 20/04/17 22/07/16	हृदय रोग	₹ 70,000 / -(सतर हजार) स्वीकृत।

40	सरोज गिरि पिता-गनउर गिरि ग्राम-मठककड़ा पो0-बरुआ थाना-दरियापुर जिला-सारण पंजी/ओ.पीड/060878/15	कैंसर रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
41	कौशल्या देवी पति-राधे रजक ग्राम-जगदीशपुर तियारी पो0-नुरसराय जिला-नालंदा पंजी/ओ0पीडी/094275/15	कैंसर रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 24,15,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 24,15,000/- (चौबीस लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 388133... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं0 मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।



विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388123.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1224(14)

पटना, दिनांक 22-08-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री शिवचन्द्र राम, मंत्री कला सं० एवं युवा विभाग / श्री जितेन्द्र कुमार राय स.वि.स० मढौरा पता-श्री नन्दन पथ नगर पालिका चौक से प० छपरा /आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग /सभी संबंधित, मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री MHP
22/8/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.08.16